तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
25/6/18 [illegible] ए. मोहनलाल	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प सुमेरपुर में पेश हुई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर लोक अदालत की भावना से प्रतिवादी से आपसी समझौता कर वाद को स्वेच्छा से चलाना नहीं चाहता है। इसलिए वाद को विड्रो कर जरिये राजीनामा खारीज करने का निवेदन किया है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद जरिये राजीनामा विड्रो करने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प सुमेरपुर में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली	

Scanned by CamScanner

प्रपत्र-ब

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुमेरपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ केम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– सुमेरपुर

राजीनामा-प्रपत्र

सेवामे,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय

दिनांक 25/6/18

उपखण्ड अधिकारी

सुमेरपुर मेशाराम बनाम मोहन लाल

प्रकरण संख्या:– 34/2017 अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री मेशाराम का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी हैं एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा हैं। हम पक्षकारो के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

आपसी समझाईश व लोक अदालत की
भावना से प्रकरण विड्रोल किया जाता है
प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है
प्रकरण में राजीनामा हो चुका है

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारक करने की कृपा करें।

वादी पक्ष : 1. मेशाराम
2. ....
3. ....
4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. मोहनलाल
2. ....
3. ....
4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर....
(वादी पक्ष) नाम....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर....
(प्रतिवादी पक्ष) नाम....

प्रार्थी/वादी .... एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी.... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया हैं। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner